प्रशासनिक आदेश संख्या– 163/2021 **दिनांक – 19/04/2021**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, सीतापुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 19.04.2021 द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी श्री स्वदेश कुमार, की कोविड–19 को जांच रिपोर्ट धनात्मक पायी गयी है तथा यह अनुरोध किया गया है कि दीवानी न्यायालय परिसर को साफ–सुथरा तथा पूर्ण रूप से सेनिटाइजेशन कराने के उद्देश्य से कोविड–19 की गाइड लाइन के अनुसार कोविड–19 के बढ़ते प्रसार को रोकने हेतु दिनांक **20.04.2021 एवं 21.04.2021 (48 घण्टे)** को न्यायालय, न्यायिक/प्रशासनिक कार्य हेतु बन्द कराते हुये वृहद सेनिटाइजेशन कराया जाय।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, सीतापुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर की उपरोक्त आख्या को दृष्टिगत रखते हुये तथा आख्या को अनुमोदित करते हुये निम्न आदेश पारित किया जाता है–

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1941/LXXXVII-CPC/eCourts/Allahabad: Dated- 05 April, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय परिसर स्थित समस्त न्यायालयों को दिनांक **20.04.2021 एवं 21.04.2021 (48 घण्टे)** के लिए वृहद सेनिटाइजेशन हेतु बन्द किया जाता है एवं सेनिटाइजेशन के पश्चात् समस्त न्यायालय दिनांक 22.04.2021 को पूर्ववत् खुलेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1941/LXXXVII-CPC/eCourts/Allahabad: Dated- 05 April, 2021 में वर्णित निर्देशों के अनुपालन में जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी एवं नगर पालिका, सीतापुर दिनांक 20.04.2021 एवं 21.04.2021 को जनपद न्यायालय परिसर के समस्त न्यायालय/ कार्यालय/ अनुभाग/ परिसर/ भवन/ बार एसोसिऐशन/ आवासीय परिसर जजेज कालोनी को सम्पूर्ण रूप से सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करें एवं सम्पूर्ण न्यायालय की साफ–सफाई भी कराना सुनिश्चित करें। केन्द्रीय नाजिर एवं उप नाजिर, जनपद न्यायालय सीतापुर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेनिटाइजेशन के कार्य में उपरोक्त की आवश्यक सहायता करें।

दिनांक 20.04.2021 को न्यायालयों में नियत आवश्यक न्यायिक कार्य अगले कार्य दिवस दिनांक 22.04.2021 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत होंगे। इसी सम्बन्ध में उपरोक्त तिथि को नियत वादों हेतु निम्न सामान्य अग्रिम तिथि नियत की जाती है साथ ही इस सम्बन्ध में यह भी आदेश दिया जाता है कि जिन वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई आदेश प्राप्त है उन वादो में न्यायालयों द्वारा सामान्य तिथि नियत नहीं की जायेगी। ऐसे मामलों में न्यायिक अधिकारीगण अपनी डायरी के मुताबिक तिथियो को नियत कर सकते हैं।

नियत तिथि	जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में नियत अग्रिम तिथि	जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों को छोड़कर समस्त न्यायालयों नियत अग्रिम तिथि
20.04.2021	05.05.2021	20.05.2021

उपरोक्त तिथि में सत्र न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायालयों से सम्बन्धित जिला कारागार, सीतापुर का रिमाण्ड कार्य वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा दिनांक 20.04.2021 को श्री अरविन्द कुमार गौतम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–17/पाक्सो कोर्ट, सीतापुर द्वारा सम्पादित किया जायेगा। इस सम्बन्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त तिथि हेतु लोवर कोर्ट के रिमाण्ड कार्य को सम्पादित करने के लिए रिमाण्ड मजिस्ट्रेट नियुक्त करना सुनिश्चित करें।

यहीं पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दिनांक 20.04.2021 को जनपद सीतापुर के वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) बिसवां, सिविल जज(जू0डि0) महमूदाबाद, ग्राम न्यायालय सिधौली तथा ग्राम न्यायालय लहरपुर पूर्ववत् खुले रहेंगे।

आदेश की एक प्रति सिस्टम असिस्टेंट, केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, जनपद न्यायालय, सीतापुर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

संजय 19/4/2021
जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सीतापुर।
2– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या– 17/पाक्सो एक्ट, सीतापुर।
3– जिला अधिकारी, सीतापुर।
4– पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
5– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर।
6– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीतापुर।
7– अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिऐशन, सीतापुर।
8– जेल अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
9– अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सीतापुर।
10– जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर।
11– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीतापुर।

संजय 19/4/2021
जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।